राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:- प.7(1)कार्मिक/क-2/95 पार्ट जयपुर, दिनांक: 13.8.2004

1. समस्त शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र-आदेश

विषय:- दो से अधिक सन्तान वाले व्यक्ति सेवा में नियुक्ति तथा पदोन्नति हेतु अपात्र-से संबंधित अधिसूचना का कठोरता से पालना करने बाबत ।

इस विभाग की अधिसूचना सं. 7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.6.2001 एवं दिनांक 8.4.2003 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा समस्त सेवा नियमों में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:-

(1) "ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चावर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा ।"

(2) "ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से जिसको उसको पदोन्नति देय हो जाती है पांच वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों;

परन्तु दो से अधिक बच्चे वाला व्यक्ति तब तक पदोन्नति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसके बच्चों की उस संख्या में जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है :

परन्तु यह और कि जहां किसी सरकारी कर्मचारी को पूर्वतर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु पश्चावर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा ।"

लगातार -----

17/04-

सभी सेवा नियमों में उक्त प्रावधान कर दिये जाने के पश्चात भी कार्मिक विभाग के ध्यान में यह आया है कि उक्त अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है, जो एक गम्भीर लापरवाही का द्योतक है । मूलतः सेवा नियमों में इस प्रकार का प्रावधान करने का उद्देश्य राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियन्त्रण करना है । यदि नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा उक्त अधिसूचना के प्रावधानों का कठोरता से पालन नहीं किया जाता है तो अधिसूचना जारी करने का उद्देश्य ही विफल हो जाता है ।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सीधी भर्ती तथा पदोन्नति करते समय उक्त अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों की कठोरता से पालना करना सुनिश्चित करें ।

(सुरेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति॰मुख्य सचिवगण ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
5. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

14/04